न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-068 (GCMS 2023-151)

1. चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम पुत्र रावतराम के कायममुकामान-
   1.1. श्रीमती ज्ञानकंवर पत्नी चिमनसिंह
   1.2. ओमप्रकाश पुत्र चिमनसिंह
   1.3. मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.4. संतोकसिंह पुत्र चिमनसिंह
   सभी जाति माली निवासी ग्राम सालावास
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर
   1.5. गीता पत्नी अभिषेक गहलोत पुत्री चिमनसिंह
   जाति माली, निवासी सोजती गेट के अन्दर
   कविराज जी का बाडा, जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. भूराराम पुत्र रावताराम के कायममुकामान-
   1.1. रुगनाथसिंह पुत्र भूराराम
   1.2. चुन्नीलाल पुत्र भूराराम
   दोनों जाति माली, निवासीगण ग्राम सालावा
   तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. बाबूलाल पुत्र रावतराम जाति माली
   निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार लूणी
   जिला जोधपुर
4. अमित एम. शाह पुत्र महेन्द्र कुमार शाह जाति जैन
   निवासी ए-17, शान्ति नगर ऊंझा,
   जिला मेहसाणा (गुजरात)
5. सुकेतु एस शाह पुत्र शरद कुमार शाह जाति जैन
   निवासी ए-17, शान्ति नगर ऊंझा,
   जिला मेहसाणा (गुजरात)

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 06 फरवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 114/2009 चिमनाराम उर्फ चिमनसिंह बनाम भूराराम इत्यादि

------- 0 -------

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री लल्लन प्रसाद राय, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री ईश्वरसिंह, अधिक्ता-रेस्पो. संख्या 1.2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3
श्री एस.एस.राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4 व 5

नि र्ण य

दिनांक : 18 सितम्बर 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2009 चिमनाराम उर्फ चिमनसिंह बनाम भूराराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 31 मार्च 2023 को अदालत हाजा में प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सालावास स्थित आराजी खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा में से 20 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी-पक्ष तथा प्रतिवादी संख्या दो के संयुक्त कब्जे काश्त की होने एवं उक्त भूमि पर तीस साल से अधिक पुराना कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाना जाहिर किया और तदनुसार दावा स्वीकार किया जाकर अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी-पक्ष की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादी-पक्ष का दावा खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

18.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पो. संख्या 1.2 की ओर से अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 141 के सभी रिकार्डेड खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर मूल दावा पेश किया गया, किन्तु उक्त दावा खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत आलौच्य अपील में उक्त सभी पक्षकारान को संयोजित नहीं किया गया है, अतः प्रस्तुत अपील आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत मिसजयोईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर खारिज की जावे।

मूल अपील एवं उक्त प्रार्थनापत्र बाबत उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6 फरवरी 2023 अपीलाण्ट्स एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, उक्त दिनांक की आदेशिका में बहस हेतु आगामी पेशी 28 फरवरी 2023 मुकर्रर की गयी थी किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद की ताईद में अपीलाण्ट्स की ओर से साक्ष्य शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य में बंटवारा यादाश्त 30 मई 2002 प्रदर्श-1 प्रस्तुत किया है जिसका प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया। इसके उपरान्त भी उक्त दस्तावेज बाबत समुचित विवेचन किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो सही नहीं है। प्रतिवादी-पक्ष की ओर से अपने जबाव के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी, इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी-पक्ष के दावे को खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में प्रतिपादित किया गया है कि कौटुम्बिक समझौता मौखिक भी पेश किया जा सकता है और उसका ज्ञापक (यादाश्त) अचल सम्पत्ति में अधिकार न तो सृजित करते है, न समाप्त। अतः यह रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17(2) के प्ररिप्रेक्ष्य में अनिवार्य रजिस्ट्री योग्य

19.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है। आलौच्य मामले में कौटुम्बिक मौखिक बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा भौतिक कब्जे बाबत विवेचना प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर नहीं की और जबाबदावे के आधार पर कब्जा मात्र प्रतिवादीगण का मानने में गम्भीर भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रारम्भ में लालूराम पुत्र थानाराम का ¼ हिस्सा था जो उनके द्वारा अपनी बहस गवरी देवी के नाम कर दिया गया, उस समय गवरी देवी के दो पुत्र नाबालिग थे इसलिए अकेले भूराराम, जो कि बालिग था, का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जबकि अन्य दो नाबालिगान का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये था। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संवत 2024 से 2026 तक सरकारी पडत भूमि रही है जिसका नियमन आदेश संख्या 56 दिनांक 20 जून 1967 के जरिये नियमन किया गया, जिसके आधार पर भूराराम पुत्र रामाराम, रावतराम पुत्र मगाराम, दल्लाराम पुत्र चुतराराम, गोदाराम पुत्र अचलाराम, आसु पुत्र लादूराम, भूराराम पुत्र रावतराम (प्रतिवादी-रेस्पो) को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। इसी आधार पर खसरा संख्या 141 की कुल भूमि में से ⅐ हिस्से की भमि अर्थात 12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक का आदिनांक तक कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है। अपीलाण्ट्स का यह अभिकथन मिथ्या एवं निराधार है कि वादग्रस्त आराजी में लालूजी का ¼ हिस्सा था और उनके द्वारा यह हिस्सा अपनी बहस गवरी देवी के नाम किया गया तथा गवरी देवी के दो नाबालिग पुत्रों का नाम उक्त भूमि बाबत दर्ज नहीं हुआ। जिस पारिवारिक समझौते का उल्लेख किया गया है, वह भी सही नहीं है और उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले मे सभी तथ्यों एवं परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन

10.9.23

कर तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं औचित्य नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अपील प्रस्तुत करते समय अपीलमीमो के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 फरवरी 2023 की सत्यापित प्रति तो प्रस्तुत की गयी है किन्तु उसके अनुसरण में जारी डिक्री की सत्यापित नकल प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके अलावा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में संयोजित सभी पक्षकारान को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में पक्षकार कायम नहीं किया गया है। इस संबंध में रेस्पो. की ओर से धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन भी किया गया। किन्तु समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अदालत हाजा तकनीकी आधारों पर प्रकरण खारिज कर किसी पक्षकार के लिए न्यायप्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध करा उचित नहीं समझते हुए न्यायहित में आलौच्य अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना उचित समझती है।

उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार संवत 2024 से 2026 के दौरान वादग्रस्त आराजी राजकीय पडत भूमि रही है जिसका जरिये आदेश संख्या 56 दिनांक 20 जून 1967 किये गये नियमन के आधार पर म्युटेशन संख्या 180 भूरा पुत्र रामा, गेवर, मगा, भोमा, दला, भूरा व पुरखा के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में लालू पुत्र थाना का ¼ हिस्सा रहा हो और वह हिस्से उसके द्वारा अपनी बहिन गवरी के नाम किया गया हो तथा गवरी के तीन पुत्रों में से दो नाबालिग होने से अकेले बालिग पुत्र भूरा का नाम ही वादग्रस्त आराजी के उक्त हिस्से बाबत दर्ज हुआ हो। अपने

20.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इस अभिकथन की समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी-पक्ष द्वारा ताईद भी नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय . तनकी संख्या एक ***(आया ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो की पैतृक अविभाजित संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है जिस बाबत घोषणा, बंटवारा व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी को पूर्ण अधिकारी है)*** का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा न्यायोचित एवं विधिसम्मतः तौर पर वादी-अपीलाण्ट्स के खिलाफ एवं प्रतिवादी-रेस्पो. के हक में किया गया है।

चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के हक में नियमन होने से उसे वादग्रस्त आराजी बाबत अधिकार अर्जित हुए है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी वादी-रेस्पो. संख्या एक व उसके अन्य भाईयो की पुश्तैनी भूमि होकर अन्य भाईयों का भी उसके अधिकार निहित होना नहीं माना जा सकता है। जिस तथाकथित पारिवारिक बंटवारे का उल्लेख वादी-पक्ष की ओर से किया गया, वह मात्र एक साधारण कागज पर की गयी अमुद्रांकित एवं अपंजीवद्ध लिखत मात्र है, जिसे अन्य सहायक साक्ष्य के आधार पर साबित कराये बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादी-पक्ष की ओर से उक्त तथाकथित पारिवारिक समझौता को अन्य समुचित सुसंगत साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। अतः उसके आधार पर भी वादी-पक्ष में वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार अर्जित होना नहीं माना जा सकता है। यद्यपि यह सही है कि कौटुम्बि बंटवारा मौखिक भी हो सकता है और इस कारण किसी कौटुम्बिक बंटवारे को अपंजीबद्ध होने के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, मगर साथ ही यह भी ज्ञातव्य है कि मौखिक अथवा सादे कागज पर लिखित अमुद्राकिंत एवं अपंजीबद्ध कौटुम्बिक बंटवारे को अन्य सम्पार्श्विक साक्ष्य के आधार पर साबित किया जाना भी अनिवार्य होता है। आलौच्य मामले में वादीगण-पक्ष की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 141 कुल रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा में प्रतिवादी-रेस्पो. भूराराम का 1/7वां हिस्सा जरिये नियमन बनता है, जाहिर है कि वह अपने भाईयों को किसी भी प्रकार के बंटवारे के आधार

19.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर सम्पूर्ण खसरा के ¼हिस्सा नहीं दे सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा ***तनकी संख्या दो (आया ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के मध्य पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 30.05.2002 की लिखत होने के अनुसार वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है)*** वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ निर्णित करने में कोई अनियमिता अथवा त्रुटि नहीं की गयी है।

तनकी संख्या तीन (आया ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि में से ¼ हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त होने से बंटवारा पाने का अधिकारी है) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक व दो बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में वादीगण की खिलाफ किया गया है जिससे अदालत हाजा सहमत है।

तनकी संख्या एक से तीन बाबत किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त होना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में ***तनकी संख्या चार आया ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि का प्रतिवादी भूराराम सहित अन्य सहखातेदारों को नियमन होने से वादी खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी नहीं है)*** एवं ***तनकी संख्या पांच आया ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 141 रकबा 82 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार होने एवं कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।)*** बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी यथावत रखे जाते है।

चूंकि वादीगण-अपीलाण्ट्स समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने वाद को साबित करने में असफल रहे और वादग्रस्त आराजी बाबत उनका कोई हक-हकूक प्रकट नहीं होने से वादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार का अनुतोष वादग्रस्त आराजी बाबत प्राप्त करने का मुश्तहक नहीं मानते हुए विचारण न्यायालय सही तौर पर ***तनकी संख्या छः (अनुतोष)*** का निष्कर्ष

18.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ पारित किया गया है। जो यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 फरवरी 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.10.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. चिमनसिंह उर्फ चिमनाराम पुत्र रावतराम के कायममुकामान-
   1.1. श्रीमती ज्ञानकंवर पत्नी चिमनसिंह
   1.2. ओमप्रकाश पुत्र चिमनसिंह
   1.3. मनोहरसिंह पुत्र चिमनसिंह
   1.4. संतोकसिंह पुत्र चिमनसिंह
   सभी जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी, जिला जोधपुर
   1.5. गीता पत्नी अभिषेक गहलोत पुत्री चिमनसिंह जाति माली, निवासी सोजती गेट के अन्दर कविराज जी का बाडा, जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. भूराराम पुत्र रावताराम के कायममुकामान-
   1.1. रुगनाथसिंह पुत्र भूराराम
   1.2. चुन्नीलाल पुत्र भूराराम
   दोनों जाति माली, निवासीगण ग्राम सालावा तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. बाबूलाल पुत्र रावतराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर
4. अमित एम. शाह पुत्र महेन्द्र कुमार शाह जाति जैन निवासी ए-17, शान्ति नगर ऊंझा, जिला मेहसाणा (गुजरात)
5. सुकेतु एस शाह पुत्र शरद कुमार शाह जाति जैन निवासी ए-17, शान्ति नगर ऊंझा, जिला मेहसाणा (गुजरात)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 06 फरवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 114/2009 चिमनाराम उर्फ चिमनसिंह बनाम भूराराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 18 सितम्बर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री लल्लन प्रसाद राय मिनजानिब अपीलाण्ट्स तथा श्री ईश्वरसिंह चम्पावत, श्री एम.एस.राजपुरोहित एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी, मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है

10.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 18 सितम्बर 2023को जारी किया गया।

18.9.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

18.9.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर